न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी — डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 13 / 2022

कमलेश शर्मा पत्नि श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांव विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अधीन धारा–136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित :– श्री धीरज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
पैरोकार सरकार, अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांक – 23.12.2024

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्रांज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बरान 949 / 689 रकवा 0.2782 है0, 950 / 689 रकवा 0.2782 , 951 / 689 रकवा 0.2655 है0 कुल किता 3 रकवा 0.8219 है0 वाके ग्राम विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर में स्थित है। मद संख्या 1 में अंकित आराजीयात को वादिया ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 02.09.2002 को श्री मुरारीलाल पुत्र श्री बाबूलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम विपरपुर हाल कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर से क्रय किया था। वादिया को घर पर कमला देवी के नाम से पुकारते है लेकिन वादिया के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, अनआधार कार्ड आदि में प्रार्थिया का नाम कमलेश शर्मा दर्ज है। चूंकि वादिया को घर पर कमला देवी केनाम से पुकारते है इसलिए दिनांक 02.09.2002 को उक्त अराजीयात का बयनामा वादिया ने अपने पक्ष मे करवाया तो भूलवश वादिया का नाम उक्त बयनामा में कमला देवी अंकित हो गया इसलिए उक्त बयनामा के आधार पर वादिया के नाम जो नामान्तरकरण खोला गया तब कमला देवी के नाम से खोल दिया गया है एंव अब वर्तमान में भी उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार कमलादेवी ही दर्ज है। अर्सा तीन माह पूर्व जब वादिया ने उक्त आराजीयात पर के सी सी ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से उक्त आराजीयात की नकल हासिल की तब वादिया को जानकारी हुई कि प्रार्थिया का नाम उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में कमलेश शर्मा के बजाय कमला देवी दर्ज है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी किए गए एंव रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मनियां के पत्रांक 794 दिनांक 0.12.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में तहसीलदार मनियां द्वारा कमलादेवी पत्नि जीतेन्द्र

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज0)

कुमार जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम विपरपुर का वास्तविक नाम कमलेश पत्नि जितेन्द्र कुमार होना बताया तथा वांछित शुद्धि किया जाना उचित बताया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी खाता संख्या 25 ग्राम विपरपुर संवत् 2076–79, छायाप्रति आधार कार्ड प्रार्थीया, जन आधार कार्ड प्रार्थीया, मतदाता पहचान पत्र,बयनामा मुरारीलाल बहक कमलादेवी दिनांक 02.09.2005 एंव प्रमाणित प्रति शुद्धि पत्र पंजीयन दिनांक 10.12.2021 बतौर साक्ष्य पेश किया है।

वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में कमलादेवी के स्थान पर कमलेश शर्मा शुद्ध किये जाने का कथन किया। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान कोई आपत्ति नही की।

बहस सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में विवादित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में बयनामा दिनांक 02.09.2005 से कमलादेवी के नाम से इन्द्राज हुए है। उक्त इन्द्राजों में कमलादेवी के स्थान पर कमलेश शर्मा के नाम की शुद्धि चाही गई है। प्रार्थीया द्वारा वांछित शुद्धि से संबधित शुद्धि पत्र भी पंजीबद्ध करा लिया है। तहसीलदार द्वारा भी उनकी रिपोर्ट में शुद्धि किया जाना उचित बताया है। अतः तहसीलदार मनियां से प्राप्त रिपोर्ट एंव शुद्धि पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख.नं. 949/689, 950/689 एंव 951/689 वाके ग्राम विपरपुर तहसील मनियां में काश्तकार का नाम कमलादेवी के स्थान पर कमलेश शर्मा शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)